संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963

(1963 का अधिनियम संख्यांक 20) से उद्धरण

* * * * * *

भाग 1

प्रारम्भिक

* * * * * *

2. परिभाषाएं तथा निर्वचन---(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो---

* * * * * *

[1][(ज) "संघ राज्यक्षेत्र" से [2][पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ।]

* * * * * *

भाग 2

विधान सभाएं

3. संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विधान सभाएं तथा उनकी संरचना---(1) प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी ।

[3][(2) [4][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा में ऐसे स्थानों की कुल संख्या जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, तीस होगी ।]

(3) केन्द्रीय सरकार तीन से अनधिक ऐसे व्यक्तियों को, जो सरकार की सेवा में नहीं हैं, [4][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी ।

[5][(4) संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।]

(5) उपधारा (4) के अधीन [6][[4][संघ राज्यक्षेत्र]] की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस विधान सभा में स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो, यथास्थिति, उस संघ राज्यक्षेत्र को अनुसूचित जातियों की अथवा उस संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस संघ राज्यक्षेत्र की कुल जनसंख्या से है ।

[7][**स्पष्टीकरण**---इस उपधारा में, "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्वगामी जनगणना में, जिसके तत्संबंधी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है :

परन्तु इस स्पष्टीकरण में ऐसी अंतिम पूर्वगामी जनगणना के, जिसके तत्संबंधी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, प्रति निर्देश का अर्थ तब तक जब तक सन् [8][2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के तत्संबंधी आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह लगाया जाएगा कि वह सन् [8][2001] की जनगणना के प्रति निर्देश है ।]

---

[1] 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) खण्ड (ज) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम सं0 44 की धारा 7 द्वारा (1-10-2006 से) प्रतिस्थापित ।

[3] हिमाचल प्रदेश राज्य (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1973 द्वारा (25-1-1971 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) "किसी संघ राज्यक्षेत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1976 के अधिनियम सं0 86 की धारा 2 द्वारा (30-5-1976 से) "पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1984 के अधिनियम सं0 19 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

[8] 2005 के अधिनियम सं0 19 की धारा 2 द्वारा (21-5-2005 से) प्रतिस्थापित ।

[1][(6) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान का आरक्षण उस तारीख से समाप्त हो जाएगा जिसको अनुच्छेद 334 के अधीन लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण समाप्त होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में तत्समय विद्यमान सभा के विघटन तक कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।]

4. विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं---कोई व्यक्ति [2][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब---

(क) वह भारत का नागरिक हो और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष, पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ ले या प्रतिज्ञान करे और उस पर हस्ताक्षर करे ;

(ख) कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का हो, और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हों, जो इस निमित्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं ।

5. विधान सभाओं की अवधि---[2][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम उस सभा का विघटन होगा :

परन्तु उक्त अवधि को, जब अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अधीन जारी की गई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जो एक बार में एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवृत्त न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

* * * * *

13. स्थानों का रिक्त होना---(1) कोई व्यक्ति संसद् और [2][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा, दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद् और ऐसी विधान सभा, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए संसद् में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है ।

(2) यदि संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का सदस्य---

(क) विधान सभा की सदस्यता के लिए [3][धारा 14 या धारा 14क] में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या

(ख) अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है,

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा ।

(3) यदि [2][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा का सदस्य साठ दिन की अवधि तक विधान सभा की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो विधान सभा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगी :

परन्तु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान विधान सभा सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहती है ।

14. सदस्यता के लिए निरर्हताएं---(1) कोई व्यक्ति [2][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा---

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के या [2][संघ राज्यक्षेत्र] की सरकार के अधीन ऐसे

---

[1] 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) उपधारा (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) "किसी संघ राज्यक्षेत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1985 के अधिनियम सं0 24 की धारा 2 द्वारा "धारा 14" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

पद को छोड़कर जिसे धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद् ने या संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा ने विधि द्वारा घोषित किया है कोई लाभ का पद धारण करता है ; अथवा

(ख) यदि वह अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख), उपखण्ड (ग) या उपखण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के अधीन संसद् के दोनों सदनों में से किसी के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए तत्समय निरर्हित है ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इसलिए भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के या [1][संघ राज्यक्षेत्र] की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का या संघ राज्यक्षेत्र का मंत्री है ।

(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि [1][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा का कोई सदस्य होने के लिए उपधारा (1) के अधीन निरर्हित हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(4) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।

[2][**14क. सदस्य होने के लिए दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता**---संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबन्ध आवश्यक उपांतरणों के (जिनके अंतर्गत उसमें किसी राज्य की विधान सभा, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 194 और अनुच्छेद 212 के प्रति जो निर्देश हैं उनका क्रमशः संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा, इस अधिनियम की धारा 11, धारा 16 और धारा 37 के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाने के लिए उपांतरण हैं) अधीन रहते हुए [1][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी राज्य की विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में लागू होते हैं और तदनुसार---

(क) इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची को इस अधिनियम का भाग समझा जाएगा ; और

(ख) कोई व्यक्ति [1][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है ।]

* * * * * *

39. सभा निर्वाचन-क्षेत्र---[1][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन लिए वह संघ राज्यक्षेत्र इस भाग के उपबन्धों के अनुसार एक सदस्य सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि निर्वाचन-क्षेत्रों में प्रत्येक की जनसंख्या, जहां तक संभव हो, समस्त संघ राज्यक्षेत्र में वही होगी ।

40. लोक सभा में [3][पुडुचेरी] का प्रतिनिधित्व---लोक सभा में, [2][पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र को एक स्थान आबंटित किया जाएगा और वह संघ राज्यक्षेत्र एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा ।

* * * * * *

51. सांविधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबन्ध---यदि राष्ट्रपति का [1][संघ राज्यक्षेत्र] के प्रशासक से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि---

(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ; या

---

[1] 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) "किसी संघ राज्यक्षेत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1985 के अधिनियम सं0 24 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 2006 के अधिनियम सं0 44 की धारा 3 द्वारा (1-10-2006 से) अंतःस्थापित ।

(ख) संघ राज्यक्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,

तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा इस अधिनियम के सभी उपबंधों का या उनमें से किसी का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिए, जैसा वह ठीक समझे, निलंबित कर सकेगा और ऐसे आनुषंगिक तथा पारिणामिक उपबंध कर सकेगा, जो उसे अनुच्छेद 239 के उपबंधों के अनुसार संघ राज्यक्षेत्र के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

[1][**52. राष्ट्रपति द्वारा व्यय को प्राधिकृत किया जाना**---जहां धारा 51 के अधीन किसी आदेश के कारण [2][संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा विघटित कर दी गई है या ऐसी विधान सभा के रूप में उसके कृत्य निलंबित कर दिए गए हैं वहां,जब लोक सभा सत्र में नहीं है तब उस संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद् की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति की क्षमता होगी ।]

* * * * * *

[1] 1980 के अधिनियम सं0 1 की धारा 2 द्वारा (25-9-1979 से) अन्तःस्थापित ।

[2] 1987 के अधिनियम सं0 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) "किसी संघ राज्यक्षेत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।